☎ : (कार्या.) 221900, (निवास) 222622
फेक्स : 07582 - 222070, 224543
E-mail : dmsagar@nic.in

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट सागर (म.प्र.)

OFFICE OF THE COLLECTOR & DISTT. MAGISTRATE SAGAR (M.P.)

क्रमांक 120/स्टेनो/2020 सागर, दिनांक 12-04-2020

आदेश

अधोहस्ताक्षरकर्ता के द्वारा जारी आदेश क्रमांक 108/स्टेनो /2020 दिनांक 09-04-2020 से संपूर्ण सागर जिले की समस्त राजस्व सीमाओं में दिनांक 10-04-2020 की प्रातः 6.00 बजे से दिनांक 13-04-2020 की प्रातः 6.00 बजे तक द0प्र0सं0 1973 की धारा 144 के अंतर्गत टोटल लॉकडाउन घोषित किया गया है । उक्त टोटल लॉकडाउन आदेश दिनांक 13-04-2020 को प्रातः 6.00 तक प्रभावशील है । उक्त टोटल लॉकडाउन आदेश को दिनांक 13-04-2020 की प्रातः 6.00 बजे से दिनांक 16-04-2020 प्रातः 6.00 बजे तक के लिए जारी रखते हुए निम्नानुसार आदेश जारी किया जाता है :-

1- उक्त टोटल लॉकडाउन में किसी भी व्यक्ति को अपने घर से पैदल अथवा दो पहिया/चार पहिया वाहन से बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी ।

2- दूध डेयरी/मिल्क बूथ खुले रहेंगे तथा दूध की घर-घर जाकर आपूर्ति की जा सकेगी।

3- दवाईयों की दुकानें तथा समस्त अस्पताल खुले रहेंगे ।

4- रसोई गैस (LPG) की एजेंसियां खुली रहेगी तथा रसोई गैस सिलेंडरों की घर-घर जाकर आपूर्ति की जा सकेगी ।

5- समस्त पैट्रोल पंप खुले रहेंगे ।

6- सब्जी तथा किराना सामग्री की आपूर्ति होम डिलेवरी (घर पहुंच सेवा) के माध्यम से हो सकेगी। (सब्जी के विक्रेता चलित ठेले के माध्यम से घर-घर जाकर सब्जी विक्रय कर सकेगें)

7- खाद (उर्वरक), बीज, कीटनाशक दवाओं, कृषि उपकरण एवं पशु आहार की दुकानें प्रतिबंध से मुक्त रहेगी।

8- प्रिंट एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया एवं न्यूज पेपर हॉकर इससे मुक्त रहेंगे ।

9- अत्यावश्यक सेवा वाले विभाग यथा राजस्व, स्वास्थ्य, पुलिस, विद्युत, दूरसंचार, नगरीय निकाय, पंचायत, होमगार्ड, आपदा प्रबंधन, पेयजल, इंटरनेट, डाक तार विभाग, कार्यालयों के लेखा शाखा भुगतान, वेतन, मानदेय आदि हेतु बैंक, एटीएम एवं कृषि उत्पादों के उपार्जन संबंधी एजेंसियां/विभाग इत्यादि उससे मुक्त रहेंगे ।

10- कार्यालयीन आदेश क्रमांक 114/स्टेनो/2020 दिनांक 10-04-2020 से बजरिया चौराहा, पुलिस चौकी के पास, कृष्णगंज वार्ड, वार्ड क्रमांक-8 सागर एवं उसके बफर जोन में स्थापित कंटेनमेंट क्षेत्र में उक्त आदेश पूर्ववत लागू रहेगा तथा उपर्युक्त उल्लेखित छूट संबंधी प्रावधान लागू नहीं होगें ।

11- मास्क, सेनेटाईजर, दवाईयां, एटीएम कैस, एलपीजी गैस सिलेण्डर, पैट्रोल-डीजल एवं अन्य मालवाहक वाहनों का प्रवेश एवं निकास जारी रहेगा ।

Scanned with CamScanner

चूंकि यह आदेश आम जनता को संबोधित हैं तथा वर्तमान में मेरे समक्ष ऐसी परिस्थितियां नहीं है और न ही यह संभव है कि संबंधित व्यक्तियों की व्यक्तिशः सुनवाई कर इस आदेश की पूर्व सूचना प्रत्येक संबंधित व्यक्ति को दी जावे, अतः यह आदेश एक पक्षीय रूप से पारित किया जाता हैं । इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरूद्ध भा0द0सं0 की धारा 188 के अंतर्गत कार्यवाही की जावेगी ।

यह आदेश दिनांक 13–04–2020 को प्रातः 6.00 बजे से दिनांक 16–04–2020 प्रातः 6.00 बजे तक तक लागू रहेगा ।

यह आदेश आज दिनांक 12–04–2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया ।

COLLECTOR
SAGAR
(प्रीति मैथिल नायक)
कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
जिला सागर (म0प्र0)

पृ0 क्रमांक 120 / स्टेनो / 2020 सागर, दिनांक 12 –04–2020

प्रतिलिपि :–

1. प्रमुख सचिव, म0प्र0शासन, गृह विभाग, मंत्रालय भोपाल की ओर सूचनार्थ ।
2. प्रमुख सचिव, म0प्र0 शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय भोपाल की ओर सूचनार्थ ।
3. कमिश्नर सागर संभाग सागर की ओर सूचनार्थ ।
4. पुलिस महानिरीक्षक, सागर जोन सागर की ओर सूचनार्थ ।
5. पुलिस अधीक्षक सागर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
6. अपर जिला दण्डाधिकारी सागर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
7. आयुक्त, नगर पालिक निगम जिला सागर / मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सागर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
8. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं अनुविभागीय दण्डाधिकारी / नगर दण्डाधिकारी / अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) समस्त जिला सागर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
9. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला सागर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
10. समस्त जिला अधिकारी जिला सागर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
11. स्टेनो टू–कलेक्टर सागर की ओर सूचनार्थ ।
12. उप संचालक / सहायक संचालक जनसंपर्क जिला सागर की ओर सूचनार्थ एवं समस्त प्रिंट एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया में प्रकाशनार्थ ।

COLLECTOR
SAGAR
कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
जिला सागर (म0प्र0)

Office of The Collector • SAG

Scanned with CamScanner